संख्या-आई/134-3140/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री हरिकिशोर तिवारी, निदेशक,
पं० दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति,
43, न्यू चौगुर्जी, इटावा।

पशुधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :26मई, 2026

विषय :- उ०प्र० में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति, इटावा द्वारा संचालित नारायन कॉलेज ऑफ पैरा वेटनरी साइंस, महेवा, इटावा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-19/पैरावेटनरी सेल/निरीक्षण आख्या/2024-25, दिनांक 19-01-2026, पत्र संख्या-41/पैरावेटनरी सेल/ निरीक्षण आख्या/2026-27, दिनांक 30-04-2026 तथा अपने दिनांक रहित पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पं० दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति, इटावा द्वारा संचालित नारायन कॉलेज ऑफ पैरा वेटनरी साइंस, महेवा, इटावा को परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्धारित नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन 100 सीट डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं 100 सीट डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स (अवस्थापना संरचना के अनुसार) हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है :-

1- प्रदेश में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा कोर्स/सार्टीफिकेट कोर्स चलाये जाने हेतु नीति विषयक शासनादेश संख्या-07/ 2024/आई/798726/37-3099/8/2023, दिनांक 18-11-2024 का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2- पैरा वेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय प्रशिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

3- पैरावेटनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पशुपालन विभाग, संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय (पं० दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान तथा गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा), राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय-

Scanned with OKEN Scanner

समय पर जारी नियमों/दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4- संस्था को उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन हेतु निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम के अनुसार कोर्स संचालित करना होगा।

5- संस्था को कोर्स संचालन हेतु कोई भी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा, बल्कि संस्था को समस्त व्यय अपने निजी स्रोतों से वहन करना होगा।

6- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक मान्य होगा। उक्त अवधि में संस्था को पं0 दीन दयाल पशु चिकित्साविज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा से सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में सम्बद्धता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा अमानत राशि लौटाई नहीं जाएगी।

7- संस्था को शासनादेश संख्या-07/2024/आई/798726/37-3099/8/2023, दिनांक 18-11-2024 में वर्णित शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ एवं अन्य विशिष्टियों का मानक अनिवार्य रूप से बनाये रखना आवश्यक होगा।

भवदीय,
Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 26-05-2026 16:44:47
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-19/ पैरावेटनरी सेल/निरीक्षण आख्या/2024-25, दिनांक 19-01-2026 तथा पत्र संख्या-41/पैरावेटनरी सेल/ निरीक्षण आख्या/2026-27, दिनांक 30-04-2026 के संदर्भ में।

(2) कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Manish Chandra Srivastava
Date: 26-05-2026 19:27:56
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-आई/1343143/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री हरिकिशोर तिवारी, निदेशक,
पं0 दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति,
43, न्यू चौगुर्जी, इटावा।

पशुधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2026

विषय :- उ0प्र0 में परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति, इटावा द्वारा संचालित नारायन कॉलेज ऑफ पैरा वेटनरी साइंस, महेवा, इटावा को अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19/पैरावेटनरी सेल/निरीक्षण आख्या/2024-25, दिनांक 19-01-2026, पत्र संख्या-41/पैरावेटनरी सेल/ निरीक्षण आख्या/2026-27, दिनांक 30-04-2026 तथा अपने दिनांक रहित पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पं0 दीनदयाल उपाध्याय जागृति समिति, इटावा द्वारा संचालित नारायन कॉलेज ऑफ पैरा वेटनरी साइंस, महेवा, इटावा को परापशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन कोर्स चलाये जाने हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं आपके द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक को डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन कोर्स (प्रत्येक कोर्स में 100 सीटों के साथ) की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने का विनिश्चय किया है।

3- उक्त के साथ आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि यदि आप, राज्य सरकार द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक

Scanned with OKEN Scanner

एक्सटेंशन के लिए अवसंरचना का सृजन करने में असफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा नए दाखिले करने की अनुज्ञा को वापस ले लिया जाता है तो आप डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन में पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों को किसी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन लाइवस्टाक एक्सटेंशन में स्थानान्तरित करने में पूर्ण सहयोग देंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 26-05-2026 16:45:13

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-19/ पैरावेटनरी सेल/निरीक्षण आख्या/2024-25, दिनांक 19-01-2026 तथा पत्र संख्या-41/पैरावेटनरी सेल/ निरीक्षण आख्या/2026-27, दिनांक 30-04-2026 के संदर्भ में।

(2) कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Manish Chandra Srivastava
Date: 26-05-2026 19:32:42

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner